संख्या बी-3-1215/दस-75 (28)

प्रेषक,

श्री कृष्ण मुरारी श्रीवास्तव,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश शासन।

दिनांक 29 जुलाई, 1975

विषय:--भवन निर्माण, मोटर सवारियां तथा साइकिल अग्रिमों पर ब्याज।

महोदय,

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-3

मुझे आपका ध्यान शासकीय कार्यालय ज्ञाप सं0 बी-3-1419/दस-5-65, दिनांक 2 अगस्त, 1974 की ओर आकृष्ट करने का निदेश हुआ है जिसमें शासन के इस निर्णय की सूचना दी गई थी कि भविष्य में राज्य कर्मचारियों को जो भी अग्रिम (भवन निर्माण अग्रिम, मोटर सवारी अग्रिम तथा साइकिल अग्रिम) स्वीकृत किये जायं उन पर ब्याज प्रभावी दर से 3 1/2 प्रतिशत अधिक निर्धारित किया जाय और यह कि नियत समय पर अग्रिम/ब्याज के प्रतिदान/भुगतान पर ब्याज में 3 1/2 प्रतिशत वार्षिक की छूट दी जायेगी। शासन की जानकारी में कई ऐसे मामले आये हैं जिनमें भवन निर्माण/मोटर सवारी/साइकिल अग्रिम से संबंधित स्वीकृति आदेशों में ब्याज की दर का बिल्कुल उल्लेख नहीं किया गया अथवा उसका कहीं उल्लेख नहीं किया गया। यह स्थिति ठीक नहीं है। अग्रिम की स्वीकृति के आदेश में ब्याज किस दर से आकलित किया जायेगा इसका स्पष्ट एवं सही उल्लेख होना चाहिये। अतएव यह दुहराया जाता है कि दिनांक 2 अगस्त, 1974 से राज्य कर्मचारियों को स्वीकृत भवन निर्माण/मोटर सवारी अग्रिम पर ब्याज की दर 9 1/2 प्रतिशत वार्षिक तथा साइकिल अग्रिम पर 9 प्रतिशत वार्षिक होगी। अगर सम्बन्धित कर्मचारी अग्रिम का प्रतिदान तथा ब्याज का भुगतान नियत समय पर करेगा तो उसे ब्याज में 3 1/2 प्रतिशत वार्षिक की छूट देकर प्रभावी दर पर ही ब्याज लिया जायेगा अर्थात भवन निर्माण/मोटर सवारियां अग्रिम पर 6 प्रतिशत वार्षिक और सायकिल अग्रिम पर 5 1/2 प्रतिशत वार्षिक ब्याज लिया जायेगा।

कृपया इन आदेशों से समस्त सम्बन्धित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अवगत कराने का कष्ट करें ताकि भविष्य में अग्रिमों की स्वीकृति के आदेशों में ब्याज के उल्लेख में त्रुटि न हो। पिछले स्वीकृति के आदेशों पर भी पुनः दृष्टिपात कर लिया जाय और जहां आवश्यक हो ब्याज के सम्बन्ध में संशोधित आदेश प्रसारित कर दिया जाय।

भवदीय,

कृष्ण मुरारी श्रीवास्तव
उप सचिव।

संख्या बी-3-1215 (1)/दस-75, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:--

(1) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

कृष्ण मुरारी श्रीवास्तव
उप सचिव।